क्रम-सं०–249

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012

अग्रहायण 19, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 990 / 79–वि0–1–12–1(क)5-2012
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2012) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2012)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 15 सितम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9–क में, उपधारा (5) में, खण्ड (1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे और उन्हें 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–एक :–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द "पूर्ववर्ती निर्वाचन" और "पश्चातवर्ती निर्वाचन" में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुये निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।"

"स्पष्टीकरण–दो :–उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "पूर्ववर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन तदनुसार "पश्चातवर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, की धारा 7 में, उपधारा (5) में, खण्ड (1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे और उन्हें 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–एक :–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द "पूर्ववर्ती निर्वाचन" और "पश्चात्वर्ती निर्वाचन" में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुये निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।"

"स्पष्टीकरण–दो :–उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "पूर्ववर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन "पश्चात्वर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे।"

निरसन एवं अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2012

4–(1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

दिनांक 12 जुलाई, 2006 को राज्यपाल द्वारा दो अध्यादेश अर्थात् उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2006) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) प्रख्यापित किये गये थे। उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 2006 में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन की तैयारियां की गयी और उसी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् निर्वाचन संचालित किया गया। उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया किन्तु राज्य विधान मण्डल द्वारा उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों में कतिपय संशोधनों सहित उक्त अधिनियम को पारित किया गया। चूँकि उक्त अधिनियम की आरक्षण प्रक्रिया से संबंधित उपबन्धों में और उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों में मूलभूत भिन्नताएं होने के कारण वर्ष 2006 में हुए नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन को पूर्ववर्ती निर्वाचन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह निर्वाचन उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हुआ था और तद्नुसार वर्ष 2012 में हुए नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन को पश्चात्वर्ती निर्वाचन के बजाय प्रथम निर्वाचन कहा जा सकता है, क्योंकि यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, सन् 2006 के उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, के उपबन्धों के अनुसार पहले आयोजित किये गये थे। चूँकि शब्द "पूर्ववर्ती निर्वाचन" और शब्द "पश्चात्वर्ती निर्वाचन" को स्पष्ट करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि सन् 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 9-क और सन् 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 7 को संशोधित करके उनमें स्पष्टीकरण को बढ़ाकर उक्त शब्दों को स्पष्ट किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2012 को उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 990(2)/LXXIX-V-1-12-1(ka)5-2012
Dated Lucknow, December 10, 2012

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the folowing English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaniya Swayatt Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2012) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 5, 2012.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2012

(U.P. ACT NO. 7 OF 2012)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 15, 2006.

CHAPTER-2

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, in sub-section (5), in clause (1) *after* sub-clause (f) the following Explanations shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* on September 15, 2006, namely :–

"***Explanation I*** : It is hereby clarified that the words "previous election" and "subsequent election" as occurring in sub-clause (f) of this clause and elsewhere in the Act shall not include and shall be deemed to have never included the elections held in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2006) and this Act as amended by the said Ordinance.

Explanation II : Notwithstanding the repeal of the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 3 of 2006) and its substitution by the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 25 of 2006) or the judgement, order or decree of any Court, Tribunal or Authority it is hereby declared that the elections held in accordance with the provisions of the said Ordinance and this Act as amended by the said Ordinance shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election."

CHAPTER-3

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 2 of 1959

3. In section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, in sub-section (5), in clause (1) *after* sub-clause (f) the following Explanations shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* on September 15, 2006, namely :–

"***Explanation I*** : It is hereby clarified that the words "previous election" and "subsequent election" as occurring in sub-clause (f) of this clause and elsewhere in this Act shall not include and shall be deemed to have never included the elections held in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 4 of 2006) and this Act as amended by the said Ordinance.

Explanation II : Notwithstanding the repeal of the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 4 of 2006) and its substitution by the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 25 of 2006) or the judgement, order or decree of any Court, Tribunal or Authority it is hereby declared that the elections held in accordance with the provisions of the said Ordinance and this Act as amended by the said Ordinance shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section shall not be deemed to be subsequent election."

U.P. Ordinance no. 5 of 2012

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2012.

is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On July 12, 2006 two Ordinances namely the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 3 of 2006) and the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 4 of 2006) were promulgated by the Governor. In accordance with the provisions of the said Ordinances preparations of the elections of 2006 of urban local bodies were made and the elections thereof were conducted after completing the reservation procedure in accordance therewith. The provisions of the said Ordinances were replaced by the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 25 of 2006) but the said Act was passed by the State Legislature with certain amendments in the provisions of the said Ordinances. Since due to fundamental differences in the Provisions relating to reservation procedures of the said Act to those of the said Ordinances, the elections of urban local bodies held in the year, 2006 can not be said to be the previous election as it was held in accordance with the provisions of the said Ordinances and accordingly the elections of urban local bodies held in the year, 2012 may be said to be the first election instead of subsequent election because it was first held in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 as amended by the said Act of 2006. Since there was no provision to explain the words "previous election" and the words "subsequent elections", it was decided to amend section 9-A of the said Act of 1916 and section 7 of the said Act, of 1959 to insert therein explanations to explain the said words.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance no. 5 of 2012) was promulgated by the Governor on August 08, 2012.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 656 राजपत्र (हि०)–2012–(3025)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 69 सा0 विधायी–2012–(3026)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।